प्रारंभिक परीक्षा

पवित्र उपवन (SACRED GROVES)

संदर्भ

केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड (KSBB) ने राज्य भर में "कावु" (Kavus - पवित्र उपवन) के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक पुनरुद्धार कार्यक्रम (pilot restoration programme) शुरू किया है।

कार्यक्रम के बारे में

- केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड (KSBB) के पुनरुद्धार प्रोजेक्ट के प्रारंभिक चरण में रणनीतिक रूप से चयनित पांच पवित्र उपवनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: एर्नाकुलम में एझिक्कारा, पलक्कड़ में पट्टांचेरी, कोझिकोड में विल्लियप्पल्ली, कन्नूर में इरिटीं और कासरगोड में उडुमा।

पवित्र उपवन के बारे में

- **पवित्र उपवन, जिन्हें 'पवित्र वन' के रूप में भी जाना जाता है, वन के वे क्षेत्र हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व के कारण संरक्षित और परिरक्षित किया जाता है।**
- **कानूनी स्थिति:** कई पवित्र उपवन जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत संरक्षित हैं और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।

पवित्र उपवन का महत्व

- **पारिस्थितिक महत्व:**
  - पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण आवास, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा स्थायी रूप से संरक्षित किया गया है।
  - अक्सर तालाबों, धाराओं या झरनों से जुड़े होते हैं, जो स्थानीय समुदाय को पानी उपलब्ध कराते हैं।
  - पवित्र उपवनों का वनस्पति आवरण मृदा स्थिरता को बढ़ाता है और क्षेत्र में मृदा अपरदन (soil erosion) को रोकता है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व**
  - स्थानीय समुदायों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं और अक्सर देवताओं या पैतृक आत्माओं से जुड़े होते हैं।
  - पारंपरिक ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करते हैं।
- **भारत में पवित्र उपवनों का वितरण**
  - भारत में, पवित्र उपवन पूरे देश में और प्रचुर मात्रा में पश्चिमी घाट के साथ पाए जाते हैं।
  - कुछ अध्ययनों के अनुसार, भारत में पवित्र उपवनों की कुल संख्या 100,000 - 150,000 की सीमा में हो सकती है।

भारत की पहली हरित मेथनॉल परियोजना (INDIA'S FIRST GREEN METHANOL PROJECT)

संदर्भ

'प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा' (Prosopis juliflora), जिसे "दुनिया की शीर्ष 100 आक्रामक प्रजातियों" में स्थान दिया गया है, को भारत के पहले हरित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र के प्राथमिक फीडस्टॉक (feedstock) के रूप में पुन: उपयोग में लाया जा रहा है।

भारत की पहली हरित मेथनॉल परियोजना के बारे में

- **स्थान:** यह परियोजना गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (DPA) में स्थित है।
- **क्षमता:** यह सुविधा प्रतिदिन पांच टन मेथनॉल उत्पादन के लिए डिजाइन की गई है।
- **साझेदारी:** इसे वडोदरा की 'अंकुर साइंटिफिक' की गैसीकरण तकनीक (gasification technology) का उपयोग करके पुणे स्थित 'थर्मेक्स एनर्जी' द्वारा बनाया गया है; संयंत्र का स्वामित्व DPA के पास होगा।
- **फीडस्टॉक:** हालांकि अपने उच्च घनत्व और ऊर्जा प्रोफाइल के कारण जूलिफ्लोरा प्राथमिक स्रोत है, लेकिन संयंत्र को खोई (bagasse) और कपास के डंठल जैसे कृषि अवशेषों का उपयोग करने के लिए भी प्रमाणित किया गया है।

प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के बारे में

- **क्षेत्रीय नाम:** कच्छ में 'गांडो बावल', उत्तर भारत में 'विलायती कीकर' और तमिलनाडु में 'सीमाइ करुवेलम' के नाम से जाना जाता है।
- **परिचय का इतिहास:** पहली बार 1920 के दशक में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को "हरा-भरा" करने के लिए पेश किया गया था और बाद में 1961 में गुजरात वन विभाग द्वारा रण में लवण मरुस्थल के अतिक्रमण को रोकने के लिए उपयोग किया गया था।
- **पारिस्थितिक प्रभाव:** दशकों से, इसने बन्नी घास के मैदानों (कच्छ), दिल्ली रिज (उत्तर भारत) और तमिलनाडु (दक्षिण भारत) में स्थानीय घासों को विस्थापित कर दिया है।

हरित मेथनॉल (Green Methanol)

- हरित मेथनॉल, मेथनॉल का एक स्थायी संस्करण है जो जीवाश्म ईंधन के बजाय नवीकरणीय विधियों के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। जबकि पारंपरिक मेथनॉल आमतौर पर कोयला गैसीकरण या प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है, हरित मेथनॉल नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करता है।
- **हरित मेथनॉल उत्पादन के दो प्राथमिक तरीके हैं:**
    - **बायो-मेथनॉल:** स्थायी बायोमास, जैसे कृषि अवशेष, वन अपशिष्ट, या प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा जैसी आक्रामक प्रजातियों के गैसीकरण द्वारा उत्पादित।
    - **ई-मेथनॉल (e-Methanol):** कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हरित हाइड्रोजन (नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त) के संश्लेषण द्वारा उत्पादित।

पारिस्थितिक वहन क्षमता और बाघों का फैलाव

(ECOLOGICAL CARRYING CAPACITY AND TIGER DISPERSAL)

संदर्भ

यद्यपि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में सबसे तेज़ वृद्धि हुई है, लेकिन उसे "वहन क्षमता" (carrying capacity) की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ सिकुड़ते प्राकृतिक गलियारे अधिशेष बाघों के फैलाव में बाधा डालते हैं।

मध्य प्रदेश में संकट क्यों?

- **संख्या में तीव्र उछाल:** 2014 और 2022 के बीच, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में 155% की वृद्धि (308 से 785 तक) देखी गई, जो 65% की राष्ट्रीय औसत वृद्धि से कहीं अधिक है।
- **बुनियादी ढांचा बाधाएं:** सड़कों, रेलवे, सिंचाई परियोजनाओं, खनन और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के तीव्र विकास से वन संपर्क (forest connectivity) गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।

- **फँसे हुए "अधिशेष" बाघ:** टूटे हुए गलियारों के कारण, युवा या प्रकीर्णन करने वाले बाघ जंगलों के बीच सुरक्षित रूप से नहीं जा सकते, जिससे वे मानव-बहुल क्षेत्रों में जाने को मजबूर होते हैं जहाँ उन्हें प्रतिशोध या आकस्मिक मृत्यु का सामना करना पड़ता है।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** बाघों के हमलों से राष्ट्रीय स्तर पर मानव मृत्यु दर में 2014 और 2025 के बीच 87% की वृद्धि हुई; जबकि मध्य प्रदेश ने कुछ राज्यों की तुलना में बेहतर प्रबंधन किया है, करंट (electrocution) द्वारा प्रतिशोधात्मक हत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं।
- **मवेशियों पर निर्भरता:** बांधवगढ़ जैसे क्षेत्रों में, शोधकर्ताओं ने 47% बाघों को मवेशियों के शिकार से जोड़ा है, जिससे एक अस्थिर स्थिति पैदा हो गई है जहाँ बाघ पारंपरिक शिकार आधार के बाहर जीवित रहने के लिए पालतू मवेशियों पर निर्भर हैं।

वहन क्षमता (Carrying capacity) के बारे में

- यह किसी जैविक प्रजाति की अधिकतम जनसंख्या आकार है जिसे एक विशिष्ट वातावरण द्वारा अनिश्चित काल तक बनाए रखा जा सकता है।
- यह कोई निश्चित संख्या नहीं है बल्कि एक गतिशील संतुलन (dynamic equilibrium) है जो उपलब्ध संसाधनों और पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर बदलता रहता है।
- **ओवरशूट और पतन (Overshoot and Collapse):** यदि कोई जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है और अपनी वहन क्षमता से "आगे निकल" (overshoot) जाती है, तो यह पर्यावरण को खराब कर सकती है (जैसे अत्यधिक चराई), जिससे जनसंख्या में अचानक गिरावट (dieback) आती है।
- **सामाजिक वहन क्षमता (Social Carrying Capacity):** किसी विशेष पशु जनसंख्या (जैसे बाघों की उपस्थिति) का वह स्तर जिसे मानव आबादी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सहन करने के लिए तैयार है।

फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन (FIBRE-OPTIC DRONES)

संदर्भ

- इज़राइल के साथ संघर्षों में हिजबुल्लाह जैसे समूहों द्वारा फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन का उपयोग कम लागत वाली, कठिन-से-मुकाबला करने वाली ड्रोन तकनीकों की ओर बदलाव का संकेत देता है।

फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन के बारे में

पारंपरिक ड्रोन के विपरीत, इन्हें एक पतली फाइबर-ऑप्टिक केबल (मछली पकड़ने वाली डोरी की तरह) के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है जो ऑपरेटर और ड्रोन को सीधे जोड़ती है, जिससे रेडियो संकेतों से बचा जा सकता है।

- **एंटी-जैमिंग क्षमता:** इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के प्रति प्रतिरक्षित (जैसे जाम नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग नहीं किया जाता है), पारंपरिक ड्रोन की एक बड़ी सीमा पर काबू पाना।
- **कम दृश्यता:** छोटा आकार और कम ऊंचाई वाली उड़ान उन्हें रडार प्रणालियों द्वारा पहचानना और ट्रैक करना कठिन बनाती है।

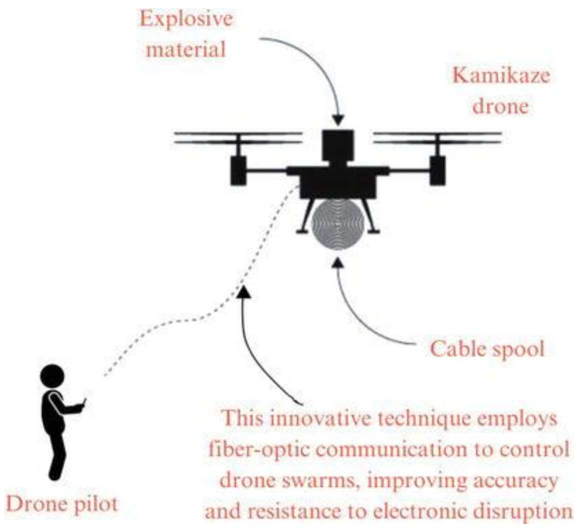

- **रेंज:** केबल की लंबाई ~50 किमी तक बढ़ सकती है (उपग्रह-नियंत्रित ड्रोन की तुलना में सीमित लचीलापन)।
- **उत्पादन लागत:** कमर्शियल ऑफ-द-शेल्फ ड्रोन + फाइबर केबल + विस्फोटक का उपयोग करके निर्मित, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन करना आसान हो जाता है।
- **प्रहार क्षमता (Strike Capability):** प्रत्यक्ष मानवीय नियंत्रण सटीक लक्ष्यीकरण की अनुमति देता है।
- **परिचालन सीमा:** हवा या बाधाओं के कारण केबल उलझ सकती है या टूट सकती है, जिससे जटिल भूभाग में प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन से उत्पन्न खतरे

- **उच्च सामरिक घातकता:** सैनिकों और वाहनों पर सटीक हमलों में सक्षम (जैसे हिजबुल्लाह के हमले जिनमें इजरायली सैनिक हताहत हुए)।
- **प्रसार जोखिम:** आसान और सस्ता उत्पादन वैश्विक स्तर पर गैर-राज्य अभिनेताओं और आतंकवादी समूहों द्वारा उपयोग की संभावना को बढ़ाता है।
- **झुंड (Swarm) क्षमता:** कई संख्या में तैनात किए जा सकते हैं (रक्षा प्रणालियों को अभिभूत करना और सफलता दर बढ़ाना)।
- **आधुनिक युद्ध सिद्धांत के लिए चुनौती:** सेनाओं को रक्षा प्रणालियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है (मिसाइल रक्षा से ड्रोन इंटरसेप्शन और केबल व्यवधान की ओर बदलाव)।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव (ELECTION OF THE UN SECRETARY-GENERAL)

संदर्भ

- वैश्विक संघर्षों, वित्तीय तनाव और शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता पर सवालों के बीच संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

महासचिव की नियुक्ति कैसे की जाती है

- **चरण 1:** प्रक्रिया की शुरुआत: महासभा और सुरक्षा परिषद के अध्यक्षों द्वारा एक संयुक्त पत्र सदस्य देशों से नामांकन आमंत्रित करता है।
- **चरण 2:** उम्मीदवारों का नामांकन: उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से कम से कम एक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश द्वारा नामित किया जाना चाहिए (स्व-नामांकन की अनुमति नहीं है) और विजन स्टेटमेंट तथा प्रोफाइल जमा करना होगा।
- **चरण 3:** सार्वजनिक अभियान और संवाद: उम्मीदवार सभी सदस्य देशों और नागरिक समाज के साथ संवादात्मक चर्चाओं में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।
- **चरण 4:** सुरक्षा परिषद का विचार-विमर्श: 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बंद कमरे में चर्चा करती है।
- **चरण 5: स्ट्रॉ पोल (मुख्य चरण):**
    - कई गुप्त मतदान आयोजित किए जाते हैं जहाँ सदस्य उम्मीदवारों को "प्रोत्साहित" (encourage), "हतोत्साहित" (discourage) या "कोई राय नहीं" के रूप में चिह्नित करते हैं।
    - स्थायी सदस्य वीटो इरादों का संकेत देने के लिए विशेष मतपत्रों का उपयोग करते हैं।
    - वीटो वाले या कम समर्थन वाले उम्मीदवार धीरे-धीरे बाहर हो जाते हैं।

- **चरण 6:** अंतिम सिफारिश: सुरक्षा परिषद एक उम्मीदवार की सिफारिश करती है (कम से कम 9 वोटों की आवश्यकता होती है और स्थायी सदस्यों द्वारा कोई वीटो नहीं होना चाहिए)।
- **चरण 7:** महासभा द्वारा नियुक्ति: महासभा औपचारिक रूप से बहुमत के वोट (आमतौर पर सर्वसम्मति से) के माध्यम से उम्मीदवार को नियुक्त करती है।

महासचिव की भूमिका

- **मुख्य प्रशासनिक अधिकारी:** संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का प्रमुख होता है और संगठन के दैनिक कामकाज का प्रबंधन करता है।
- **वैश्विक राजनयिक:** "विश्व के मुख्य राजनयिक" के रूप में कार्य करता है, वैश्विक मामलों और वार्ताओं में संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है।
- **शांति और सुरक्षा भूमिका:** अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरों को सुरक्षा परिषद के समक्ष ला सकता है और संघर्ष समाधान की सुविधा प्रदान कर सकता है।
- **मध्यस्थता और दूत:** संवेदनशील राजनयिक वार्ताओं को संभालने के लिए विशेष दूत (जैसे पश्चिम एशिया संघर्ष के लिए) नियुक्त करता है।
- **मानक निर्धारण और वकालत:** वैश्विक मुद्दों (जलवायु परिवर्तन, असमानता, विकास) पर बोलता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय विमर्श को आकार मिलता है।

इस बार यह अधिक महत्वपूर्ण क्यों है

- **वैश्विक संघर्षों में वृद्धि:** चल रहे संकटों (जैसे गाजा, यूक्रेन, सूडान, ईरान) के लिए मजबूत मध्यस्थता और संघर्ष रोकथाम की आवश्यकता है।
- **संयुक्त राष्ट्र संस्थागत संकट:** विलंबित अंशदान के कारण वित्तीय तनाव के चलते कर्मचारियों की कटौती और परिचालन संबंधी चुनौतियाँ पैदा हुई हैं।
- **सुरक्षा परिषद का पक्षाघात (Paralysis):** प्रमुख शक्तियों द्वारा बार-बार किए गए वीटो ने निर्णय लेने में संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता को कम कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा MTP अधिनियम की समय सीमा की जांच

संदर्भ

बलात्कार की शिकार एक नाबालिग से संबंधित हालिया सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि भारत के गर्भपात कानून के तहत कठोर गर्भावधि सीमाएं (gestational limits) पीड़िता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं।

MTP अधिनियम: मुख्य विशेषताएं

- **पूरा नाम:** मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (2021 में संशोधित)
- **भारत में कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच को विनियमित करता है।**
- **गर्भावधि सीमाएं (Gestational Limits):**
  - 20 सप्ताह तक ⟶ एक पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सक से अनुमोदन
  - 20-24 सप्ताह के बीच ⟶ विशिष्ट श्रेणियों (जैसे नाबालिगों और बलात्कार पीड़ितों) के लिए दो डॉक्टरों की राय के साथ अनुमति
  - 24 सप्ताह से अधिक ⟶ केवल पर्याप्त भ्रूण असामान्यताओं के मामलों में अनुमति, मेडिकल बोर्ड के अनुमोदन के अधीन

विचाराधीन मुद्दा

- एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता ने कानूनी रूप से अनुमत गर्भावधि सीमा पार करने के बाद गर्भपात का अनुरोध किया।
- वैधानिक प्रतिबंधों के कारण अधिकारियों ने हिचकिचाहट दिखाई।
- इसने कानूनी प्रावधानों और पीड़िता के अधिकारों (शारीरिक स्वायत्तता और मनोवैज्ञानिक कल्याण सहित) के बीच तनाव पैदा किया।

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

- अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसकी व्याख्या गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता और प्रजनन स्वतंत्रता को शामिल करने के लिए की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

- बलात्कार के परिणामस्वरूप होने वाली गर्भावस्था गहरे और लंबे समय तक चलने वाले आघात का कारण बन सकती है, विशेष रूप से नाबालिगों के लिए।
- पीड़िता को ऐसी गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 के तहत उसकी गरिमा और स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।
- राज्य और चिकित्सा अधिकारियों को पीड़िता या उसके अभिभावक के सूचित निर्णय (informed decision) की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।

कोर्ट के सुझाव

- नाबालिगों से जुड़े बलात्कार जैसे असाधारण मामलों में गर्भावधि सीमा को शिथिल करने या संशोधित करने पर विचार करें।
- आगे के नुकसान को रोकने के लिए समय पर निर्णय लेना सुनिश्चित करें।
- MTP ढांचे में सुधार करें ताकि इसे जीवित बचे लोगों (survivors) की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाया जा सके।

MHA ने नागरिकता नियमों में संशोधन किया; नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट पर कड़े मानदंड

संदर्भ

गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी भारतीय नागरिक (OCI) प्रणाली को अद्यतन करने के उद्देश्य से नागरिकता नियम, 2026 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। परिवर्तन डिजिटलीकरण, बेहतर दक्षता और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं पर केंद्रित हैं।

संशोधित नियमों की मुख्य विशेषताएं

- **ई-OCI (e-OCI) कार्ड का परिचय:** विदेशी भारतीयों के लिए कागज़ रहित पहचान सत्यापन सक्षम करने के लिए OCI कार्ड का एक डिजिटल संस्करण पेश किया गया है।
- **अनिवार्य ऑनलाइन आवेदन:** भौतिक कागजी कार्रवाई और दोहराव की आवश्यकता को हटाते हुए, अब सभी आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए जाने चाहिए।
- **बायोमेट्रिक डेटा का एकीकरण:** आवेदकों को बायोमेट्रिक डेटा संग्रह के लिए सहमति देना आवश्यक है, जो भविष्य के पंजीकरण और तेज़ आव्रजन प्रसंस्करण (immigration processing) में सहायता कर सकता है।

प्रमुख परिवर्तन और प्रावधान

- **नाबालिगों के पासपोर्ट के लिए नियम:** भारतीय पासपोर्ट रखने वाले बच्चे एक साथ दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रख सकते हैं, जो दोहरी नागरिकता से संबंधित चिंताओं को संबोधित करता है।

- **सरलीकृत OCI पंजीकरण:** OCI स्थिति के लिए आवेदन फॉर्म XXVIII के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए, जिससे प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाएगी।
- **केंद्रीकृत डिजिटल रजिस्ट्री:** रद्दीकरण और त्याग सहित रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए OCI कार्डधारकों का एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस स्थापित किया गया है।
- **ऑनलाइन त्याग (Renunciation) और रद्दीकरण:** ये प्रक्रियाएं अब पूरी तरह से डिजिटल हो गई हैं, जिसके लिए फॉर्म XXXI जमा करना और डिजिटल पुष्टि के लिए भौतिक कार्ड जमा करना आवश्यक है।

कार्यान्वयन

नए नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। इनका अनुपालन अनिवार्य है, और पालन न करने पर OCI कार्ड अमान्य हो सकते हैं।

मुख्य परीक्षा

राजकोषीय स्थिरता की चुनौती

संदर्भ

वित्त मंत्रालय की 'मासिक आर्थिक समीक्षा' (अप्रैल 2026) के अनुसार, सतत राजस्व घाटे और भारी ऋण देनदारियों वाले कई राज्यों को राजकोषीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है। यह आर्थिक झटकों के प्रति प्रतिक्रिया देने की उनकी क्षमता को सीमित करता है और राजकोषीय प्रबंधन के 'स्वर्ण नियम' (golden rule) के उल्लंघन की संभावना को बढ़ाता है।

भारत के राजकोषीय दृष्टिकोण पर मुख्य अंतर्दृष्टि

केंद्र सरकार निरंतर एक सतर्क राजकोषीय दृष्टिकोण का पालन कर रही है। यह मामूली कर उत्प्लावकता (tax buoyancy) अनुमानों (लगभग 0.8) पर निर्भर है और इसने राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को प्रभावित किए बिना बाहरी झटकों के प्रभाव को कम करने के लिए एक 'आर्थिक स्थिरीकरण कोष' (Economic Stabilisation Fund) की स्थापना की है।

राज्य स्तर पर

- **राजस्व घाटे की व्यापकता:** 18 प्रमुख राज्यों में से 9 राज्य राजस्व घाटे की स्थिति में हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।
- **उच्च ब्याज भार:** ऋण शोधन (Debt servicing) राज्यों के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खा जाता है, जिससे वित्तीय लचीलापन कम हो जाता है। पंजाब सर्वाधिक तनाव में है, जो अपनी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 23% ब्याज भुगतान में आवंटित कर रहा है।
- **राजकोषीय घाटा स्वरूप:** तेरह राज्यों ने अपने राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% या उससे अधिक पर बजटित किया है। हालाँकि, ओडिशा जैसे कुछ मामलों में, उच्च घाटा राजकोषीय संकट के बजाय बढ़े हुए पूंजीगत व्यय से जुड़ा है।
- **राजस्व अधिशेष वाले राज्य:** ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, तेलंगाना और बिहार सहित आठ राज्यों द्वारा राजस्व अधिशेष बनाए रखने की उम्मीद है।
- **16वें वित्त आयोग का प्रभाव:** वित्त वर्ष 2026-27 नए वित्त आयोग चक्र की शुरुआत का प्रतीक है, जो परिवर्तित हस्तांतरण हिस्सेदारी (devolution shares) और राजस्व घाटा अनुदान को हटाए जाने जैसी अनिश्चितताएं लेकर आया है।
- **ऋण के बढ़ते स्तर:** राज्यों की देनदारियां अब GSDP के 35% से 45% के बीच हैं। वित्तीय रूप से संकटग्रस्त राज्य उच्च केंद्रीय सहायता की मांग कर सकते हैं, जिससे केंद्र के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (fiscal consolidation) के प्रयास जटिल हो सकते हैं।

भारत की राजकोषीय स्थिति को लेकर चिंताएं

संघ स्तर पर मुद्दे

- **राजकोषीय विचलन (Fiscal Slippage) की संभावना:** हालांकि 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% निर्धारित है, लेकिन अनुमान बताते हैं कि आपातकालीन व्यय के कारण यह बढ़कर लगभग 4.5% हो सकता है।
- **विकास की गति धीमी होने का जोखिम:** अपेक्षित जीडीपी विकास दर से कम रहने पर कर संग्रह कमजोर हो सकता है। जहाँ सरकार 7-7.4% विकास का अनुमान लगाती है, वहीं आईएमएफ (IMF) जैसे संस्थान लगभग 6.5% का अनुमान लगाते हैं।
- **बढ़ती ऊर्जा लागत:** कच्चे तेल की उच्च कीमतें आयात बिल में महत्वपूर्ण वृद्धि करती हैं। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है, जिससे राजकोषीय संसाधनों पर दबाव पड़ेगा।

- **मुद्रास्फीति का दबाव:** आपूर्ति व्यवधानों, विशेष रूप से प्रमुख शिपिंग मार्गों में, ने रसद (logistics) लागत बढ़ा दी है। इसने उच्च थोक मुद्रास्फीति में योगदान दिया है, जो अंततः उपभोक्ता मांग को कम करती है।

राज्य स्तर पर मुद्दे

- **अस्थिर राजस्व:** तेल की बढ़ती कीमतें राज्यों को ईंधन पर वैट (VAT) कम करने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे उनके राजस्व में कमी आती है।
- **मांग संकुचन (Demand Compression):** लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (Cost-push inflation) विवेकाधीन व्यय को कम करती है, जिससे राज्य जीएसटी (SGST) संग्रह की वृद्धि धीमी हो जाती है।
- **स्वर्ण नियम का उल्लंघन:** कई राज्य पूंजीगत संपत्ति में निवेश करने के बजाय वेतन और सब्सिडी जैसे नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण ले रहे हैं, जो राजकोषीय स्थिरता को कमजोर करता है।
- **केंद्रीय सहायता पर निर्भरता:** वित्तीय रूप से दबाव झेल रहे राज्य तेजी से केंद्रीय सहायता या उधार सीमा में ढील की मांग कर सकते हैं, जिससे केंद्र सरकार पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

राजकोषीय वित्तपोषण का स्वर्णीम नियम (Golden Rule)

- **अवधारणा:** सरकारों को केवल पूंजीगत निवेश के लिए ऋण लेना चाहिए न कि नियमित खर्चों के लिए।
- **मूल सिद्धांत:** समय के साथ, वर्तमान खर्चों का वित्तपोषण वर्तमान राजस्व के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
- **महत्व:**
    - अंतर-पीढ़ीगत समानता (intergenerational equity) को बढ़ावा देता है।
    - बुनियादी ढांचा निवेश के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करता है।
    - राजकोषीय अनुशासन लागू करता है और अल्पकालिक योजनाओं के लिए अत्यधिक उधार लेने से रोकता है।

राजकोषीय स्थिरता में सुधार के उपाय

केंद्र सरकार के लिए

- **ऊर्जा रणनीति विविधीकरण:** पश्चिम एशिया के बाहर के देशों के साथ सरकार-से-सरकार ऊर्जा समझौतों का विस्तार करने से आयात लागत कम हो सकती है।
- **पूंजीगत व्यय पर ध्यान:** दीर्घकालिक विकास के लिए हरित हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में निरंतर निवेश आवश्यक है।
- **RBI के साथ समन्वय:** मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आयात लागत का प्रबंधन करने के लिए मुद्रा स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

राज्य सरकारों के लिए

- **राजस्व स्रोतों को व्यापक बनाना**: ईंधन करों पर निर्भरता कम करने और डिजिटलीकरण के माध्यम से अन्य राजस्व धाराओं को मजबूत करने से स्थिरता में सुधार हो सकता है।
- **हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना:** इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सौर-आधारित प्रणालियों में बदलाव से ईंधन से संबंधित व्यय कम हो सकता है।
- **उत्तरदायी ऋण ग्रहण (Responsible Borrowing):** राज्यों को एफआरबीएम (FRBM) मानदंडों के तहत राजकोषीय अनुशासन का पालन करना चाहिए और आर्थिक प्रतिफल उत्पन्न करने वाले निवेशों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

- **प्रदर्शन-आधारित सुधार:** शासन और कर प्रशासन में सुधार से राज्यों को 16वें वित्त आयोग के तहत प्रदर्शन-लिंक्ड अनुदान तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

राज्य स्तर पर ऊर्जा की बढ़ती कीमतें और राजकोषीय तनाव महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। जबकि केंद्र का आर्थिक स्थिरीकरण कोष अल्पकालिक राहत प्रदान करता है, दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य उन राज्यों पर निर्भर करता है जो जिम्मेदार उधार प्रथाओं का पालन करते हैं और वित्तपोषण के सुनहरे नियम के अनुरूप उत्पादक निवेश को प्राथमिकता देते हैं।